पत्रांक—2 / यो0—5005 / 2025—
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव, भा0प्र0से0
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक (नियोजन), विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालयं सहित।
सभी जिला नियोजन पदाधिकारी।
सभी नियोजन पदाधिकारी, वि0वि0नि0सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र।

पटना—01, दिनांक—

विषयः— **"नियोजन—सह—मार्गदर्शन कार्यक्रम"** स्कीम के तहत् वित्तीय वर्ष 2025—26 में (A) राज्य के सभी नियोजनालयों में स्थापित पुस्तकालय / वाचनालय एवं कैरियर इन्फॉर्मेशन सेन्टर (सी0 आई0 सी0), (B) स्टडी किट आपूर्ति (C) जॉब कैम्प के आयोजन एवं (D) जिला स्तरीय नियोजन मेला के आयोजन हेतु ₹1,97,99,000 (रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र निधि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय राज्यादेश सं0—477 दिनांक—07.05. 2025 द्वारा स्वीकृत **"नियोजन—सह—मार्गदर्शन कार्यक्रम"** स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए संलंग्न विवरणी के स्तम्भ (A) राज्य के सभी नियोजनालयों में स्थापित पुस्तकालय / वाचनालय एवं कैरियर इन्फॉर्मेशन सेन्टर (सी0 आई0 सी0) हेतु ₹22,49,000 (रूपये बाईस लाख उनचास हजार), स्तम्भ (B) प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए स्टडी किट का आपूर्ति हेतु ₹60,00,000 रूपये (साठ लाख) मात्र एवं स्तम्भ (C) जिला स्तर पर आयोजित जॉब कैम्प के आयोजन हेतु ₹11,00,000 रूपये (ग्यारह लाख) मात्र एवं (D) जिला स्तरीय नियोजन मेला के आयोजन के लिए ₹1,04,50,000 रूपये (एक करोड़ चार लाख पचास हजार) मात्र अर्थात स्तम्भ (A, B, C एवं D) के लिए कुल ₹1,97,99,000 (रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र की राशि का आवंटन दिया जा रहा है।

2. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष— "2230— श्रम रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष—02—रोजगार सेवायें, समूह शीर्ष—राज्य स्कीम, लघु शीर्ष—003—प्रशिक्षण उप शीर्ष—0101—**नियोजन—सह—मार्गदर्शन कार्यक्रम** मांग संख्या—26 विपत्र कोड संख्या—26—2230020030101 चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में स्वीकृत राशि, के अन्तर्गत कंडिका—A एवं B से संबंधित कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष— "0101 13.01 – कार्यालय व्यय" एवं C एवं D से संबंधित कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष— "0101 20.02 – कॉनफरेन्स कार्याशाला सेमिनार मद से विकलनीय होगा।

3. इस राशि का आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक—2561 / वि0 (2) दिनांक—17.04.1998, पत्रांक—3576 दिनांक—01.04.2024, वितीय नियमावली—2005, वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत परिपत्रों / निदेशो एवं CFMS में मुक्त किये गये राशि के अनुसार दी जा रही है। इस राशि का व्यय समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) / समय—समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।

4. आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2025—26 के विषयांकित योजना के तहत् चालू वर्ष अवधि में राशि का व्यय किया जाय। उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी मद में राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

5. हर महीने टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को हर माह के दिनांक 03 / 04 कार्य दिवस तक उपलब्ध कराना सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

कृ0पृ0उ0

6. राशि की निकासी वित्तीय नियमावली/निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाय तथा व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार को देते हुए इसकी एक प्रति निदेशालय नियोजन मुख्यालय को भी निश्चित रूप से दे दी जाय।

7. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन), जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी होंगे।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्याः–2/यो0–5005/2025–02 पटना–01, दिनांक–13/5/2025

प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/05/25

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।